



132

ନାନା କାର୍ଡଶା ଫିଲେସ୍ - ୨୩୧୧-୨୨ କିଳାରୀ ଟୋମ୍ ୧୦୩୯

୧୦ ଟିକ୍ଟୁ ୨୦୨୬ ପ୍ରାଚ୍ ଦିନେୟ - ୨୦୨୨୦୪୬୮୦୬୦ ୭୭ ୭୦

୧୦ ଟିକ୍ଟୁ କୁଳାଳେଜ ପ୍ରାଚ୍ ଦିନେୟ ପ୍ରତିକାରି

କୁଳାଳ୍ପାତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଡଶାର୍କ ଆମ - ନାନା ପରମ

ନାନାପ୍ରାଚ୍ ତଥାର୍ - ନାନା ପିଲାର୍ କୁଳାଳ୍ପାତ୍ର - ନାନାପରମ

ଅଭିଲାଷିତାର୍ - ନାନା କୁଳାଳ୍ପାତ୍ର କାର୍ଡଶାର୍କ ୨୩୧୧-୨୨



କୋର୍ଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କି ପ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡଶାର୍କ କି କାର୍ଡଶାର୍କ ହାଲାଗୁଛି



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : अयोध्या, जनपद : सुलतानपुर, तहसील : सदर
वाद संख्या : 9990/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : T202204680609990

एन०बी०एस० कालेज आफै एजूकेशन मेनेजमेंट भादा सुलतानपुर। बनाम उ०प्र० सरकार।
अन्तर्गत धारा : 80, आधिनियम : उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद एन०बी०एस० कालेज आफै एजूकेशन मेनेजमेंट भादा। सुलतानपुर सचांलित द्वारा द्रस्ट नरायनपुर मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल द्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक नरायनपुर मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा संख्या 242कमि० / 0.3800हें० में से 0.3420हें० भूमि रिथ्त ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के साथ नकल खत्तीनी, नकल खसरा, नवशा नजरी तथा स्थल की फोटो, स्वयं का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है।

पत्रावली स्थलीय जांच आख्या हेतु तहसीलदार सदर को प्रेषित की गयी। निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक 01.11.2022 पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार सदर ने एन०बी०एस० कालेज आफै एजूकेशन मेनेजमेंट भादा। सुलतानपुर सचांलित द्वारा द्रस्ट नरायनपुर मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल द्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक नरायनपुर मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (यथा संशोधित, 2016) की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत गाटा संख्या 242कमि० / 0.3800हें० में से 0.3420हें० को गैर-कृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की गयी है।

उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 85(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क की धनराशि तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 191 उपनियम (2) तथा परिशिष्ट-1 के कालम 13 के अनुसार न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प के आगामन हेतु उपनिवन्धक सदर सुलतानपुर से आख्या प्राप्त की गयी।

उपनिवन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद भूमि का सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क की धनराशि मु० 11290.00 रु० एवं न्याय शुल्क मु० 11290.00 रु० आगणित कर प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार सदर एवं उपनिवन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु नियमानुसार उद्घोषणा शुल्क के रूप में देय धनराशि एवं न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प अदा करने हेतु वादी को प्रारूप 25 (ख) पर नोटिस जारी किया गया।

वादी द्वारा उद्घोषणा शुल्क की धनराशि मु० 11290.00 रु० (मु० र्यारह हजार दो सौ नब्बे रुपया मात्र) जमा कोष कर चालान की मूल प्रति दाखिल किया है तथा 11290.00 रु० (मु० र्यारह हजार दो सौ नब्बे रुपया मात्र) का स्टाम्प न्याय शुल्क के रूप में दाखिल किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं अभिलेखीय साहयों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खत्तीनी वर्ष 1426-1431 फ० के खाता





आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : अयोध्या, जनपद : सुलतानपुर, तहसील : सदर

वाद संख्या :- 9990/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202204680609990

एन०बी०एस० कालेज आफै एजूकेशन मैनेजमेंट भादा सलतानपुर। बनाम उ०प्र० सरकार।

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

संख्या 37 की गाटा संख्या 242कमि०/0.3800हे० में से 0.3420हे० पर वादी एन०बी०एस० कालेज ऑफ एजूकेशन मैनेजमेंट भादा। सुलतानपुर सर्वोलित द्वारा ट्रस्ट नरायनपुर मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक नरायनपुर मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर का नाम संक्रमणीय भूमिघर खातेदार के रूप में अंकित है। तहसीलदार सदर द्वारा वाद भूमि गाटा संख्या 242कमि०/0.3800हे० में से 0.3420हे० के अंश को गैर-कृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा वाद भूमि को गैर-कृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु स्वयं का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है। तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्षों के आधार पर उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 80(1) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः उपरोक्त जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्षों के आलोक में आदेश किया जाता है कि ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतीनी वर्ष 1426-1431 फ० के खाता संख्या 37 की गाटा संख्या 242कमि०/0.3800हे० में से 0.3420हे० भूमि अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार उद्धरण खतीनी में आदेश की प्रविष्टि वाले कालम में यह आदेश अंकित हो, तथा भविष्य में बनने वाली खतीनियों में भी अंकित होता रहेगा। वाद भूमि भू-राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। परवाना अमलदारामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :-

(वन्द्र प्रकाश पाठक),
उपजिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर

सत्य-प्रतिलिपि

रीडर
उप जिलाधिकारी सदर
सुलतानपुर
24/11/22

प्रार्थना पत्र संख्या /290
प्रार्थना पत्र विनाश 24/11/22
पूल टिकट..... 12
गैयारी का दिनांक 24/11/22
वितरण दिनांक 24/11/22
जारी करने का दिनांक 24/11/22



1385

नवल आदित्या दिव्यांग - 23/11/22 कलारी दृष्टिकोण
राजस्व दिव्यांग 2006 लाल दिव्यांग - 202204680609991
पाँच दिव्यांग नेपाल प्रधानमंत्री दिव्यांग नेपाल
कुलालपुर्ण दिव्यांग दिव्यांग नेपाल
दिव्यांग - दिव्यांग कुलालपुर्ण नेपाल
कुलालपुर्ण - दिव्यांग कुलालपुर्ण कालीकोट - 23/11/22



नेपाल - 2022 अर्थ अधिकारी द्वारा दिव्यांग नेपाल को दिव्यांग नेपाल



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : अयोध्या, ज़िला : सुलतानपुर, तहसील : सदर

वाद संख्या :- ५९९१/२०२२

कंप्यटरीकृत वाद संख्या :- T202204680609991

मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर। बुनाम उ०प्र० सरकार।
अन्तर्गत धारा:- ८०, आधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - २००६

निर्णय

प्रस्तुत वाद मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर ने गाटा संख्या 242कमि०/०.२५२०ह०, २४२ख०/०.१६८३ह० मूमि स्थित ग्राम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर को अकृषिक मूमि घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के साथ नकल खतीनी, नकल खससा, नकशा नजरी तथा स्थल की फोटो, स्वयं का शपथ-पत्र दाखिल किया गया है।

पत्रावली स्थलीय जांच आख्या हेतु तहसीलदार सदर को प्रेषित की गयी। निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या दिनांक ०१.११.२०२२ पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार सदर ने मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर द्वारा मुख्य न्यासी नरेन्द्र बहादुर सिंह सुत बम बहादुर सिंह निवासी नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता २००६ (यथा संशोधित, २०१६) की धारा ८०(१) के अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत गाटा संख्या २४२कमि०/०.२५२०ह०, २४२ख०/०.१६८३ह० को गैर-कृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की गयी है।

उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली २०१६ के नियम ८५(२) के अन्तर्गत जिलाधिकारी सुलतानपुर द्वारा निर्धारित सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क की धनराशि तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली २०१६ के नियम १९१ उपनियम (२) तथा परिशिष्ट-१ के कालम १३ के अनुसार न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प के आगणन हेतु उपनिवन्धक सदर सुलतानपुर से आख्या प्राप्त की गयी।

उपनिवन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद मूमि का सर्किल दर के अनुसार एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क की धनराशि मु० १३८८०.०० रु० एवं न्याय शुल्क मु० १३८८०.०० रु० आगणित कर प्रस्तुत किया गया है।

तहसीलदार सदर एवं उपनिवन्धक सदर की आख्या के आधार पर वाद मूमि को अकृषिक मूमि घोषित किये जाने हेतु नियमानुसार उद्घोषणा शुल्क के रूप में देय धनराशि एवं न्याय शुल्क के रूप में देय स्टाम्प अदा करने हेतु वादी को प्रारूप २५ (ख) पर नोटिस जारी किया गया।

वादी द्वारा उद्घोषणा शुल्क की धनराशि मु० १३८८०.०० रु० (मु० तेरह हजार आठ सौ अस्सी रुपया मात्र) जमा कोष कर चालान की मूल प्रति दाखिल किया है तथा १३८८०.०० रु० (मु० तेरह हजार आठ सौ अस्सी रुपया मात्र) का स्टाम्प न्याय शुल्क के रूप में दाखिल किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं अभिलेखीय साह्यों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम नरायनपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतीनी वर्ष १४२६-१४३१ फ० के खाता संख्या ५३ की गाटा संख्या २४२ख०/०.१६८३ह० व खाता संख्या १५० की गाटा संख्या २४२कमि०/०.२५२०ह० पर वादी मां पाटेश्वरी मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट नरायनपुर सुलतानपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर का नाम संक्रमणीय भूमिघर खातेदार के





आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : अयोध्या, जनपद : सुलतानपुर, तहसील : सदर

वाद संख्या :- 9991/2022

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202204680609991

मां पाटेश्वरी मेमोरियल पाइलिंग चरोटबूल टस्ट नरायनपुर सल०। बूनाम उ०प्र० सरकार।
अंतर्गत घारा:- 80, आधानयम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

रूप में अंकित होना तहसीलदार सदर द्वारा वाद भूमि गाठा संख्या 242कमि०/०२५२०४०,
242ख/०.१६८३ह० के अंश को गैर-कृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।
वादी द्वारा वाद भूमि को गैर-कृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु स्वयं का शपथ-पत्र
दाखिल किया गया है। तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों
के आधार पर उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की घारा 80(1) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार
वाद भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक वाधा नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

जब उपरोक्त जांच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में आदेश किया जाता
है कि याम भादा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की उद्धरण खतीनी वर्ष
1426-1431 फ० के खाता संख्या 53 की गाठा संख्या 242ख/०.१६८३ह० व खाता संख्या
150 की गाठा संख्या 242कमि०/०२५२०४० भूमि अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है।
तदनुसार उद्धरण खतीनी में आदेश की प्रविष्टि वाले कालम में यह आदेश अंकित हो, तथा
भविष्य में बनने वाली खतीनियों में भी अंकित होता रहेगा। वाद भूमि भू-राजस्व से मुक्त
किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सदर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी
जाए। परवाना अमलदरमद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :-



सत्य-प्रतिलिपि

रीडर
उप जिलाधिकारी सदर
सुलतानपुर

24/11/22

(चन्द्र प्रकाश पाठक),
उपजिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर

गार्हना पत्र संख्या 1291
ग्राहना पत्र संख्या 241/1/22
मूल टिकट..... 12
दीयारी का दिनांक 24/11/22
निरारण दिनांक 24/11/22
दारी करने का दिनांक 24/11/22